

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से कम होने की संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर केन्द्रीय कर का संदाय करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.,अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 40/2017 – Central Tax

G.S.R. 1254(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 41/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1255 (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी सम्मिश्रण पूर्तिकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई से सितम्बर, 2017 की तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.,अवर सचिव,